Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

वण्डर सीमेंट बनाम **कालु**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र** नं0 **159** सन **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.04.2022	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। हाजिर वकील प्रार्थी एन.के. नाहर ने आदेशिका पर अंकित कर निवेदन किया कि प्रार्थी कंपनी वर्तमान परिस्थितियों में अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहती है, अतः भविष्य में नवीन आवेदन प्रस्तुत किये जाने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हुऐं इस प्रार्थना पत्र में कार्यवाही समाप्त किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। हाजिर वकील अप्रार्थी द्वारा इस बाबत् उज्र नहीं होना आदेशिका पर अंकित किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस बाबत् विड्रो का सुना गया। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। हाजिर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस का चिंतन–मनन किया। प्रार्थी कंपनी वर्तमान परिस्थितियों में अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहती है एवं इस बाबत् वकील अप्रार्थी को किसी भी प्रकार से उज्र नहीं होना जाहिर आता हैं ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कंपनी को मौजा कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा की आराजी संख्या 680, 681, 684, 685 एवं 718 के संबंध में भविष्य में अन्तर्गत धारा 89(04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इसी न्यायालय में नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने अनुमति प्रदान की जाती है एवं प्रार्थी कंपनी का यह प्रार्थना पत्र विड्रोल में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **–SD–** (अरविन्द कुमार पोसवाल) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 05.04.2022 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए